न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः–04/25

1. धर्मसिंह आयु 35 साल पुत्र रामहंस
2. निर्भय आयु 54 साल पुत्र रामहंस
3. निरोतीसिंह आयु 36 साल पुत्र मनोहरी
4. रघुवीर आयु 75 साल पुत्र हुकमसिंह
5. रामदयाल आयु 65 साल पुत्र हुकमसिंह

सभी जाति गुर्जर निवासी चहल तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहव जी.,तहसील बयाना

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–129 लैण्ड रैवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक 24/11/25

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–129 लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्वर 2202 रकवा 0.21 हैक्टे0 ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना में स्थित है कि जिसमें प्रार्थी धर्मसिंह 1/8 हिस्से का, रघुवीर 1/4 हिस्से का ,प्रार्थी रामदयाल 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काविज आराजी है। खसरा नम्वर 2169 रकवा 0.32, 2169/2673 रकवा 0.18 ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना में स्थित है कि जिनके दीपा कुमारी, बबीता, मुन्दरी खातेदार काश्तकार है अक्त आराजी के चपेटा तरफ दक्षिण प्रार्थना पत्र की खण्ड संख्या–1 में वर्णित आराजी है को हमारी डौल–मेडों को तोडते रहते है जव ऐसा करने से राकते है तो झूठे मुकदमा लगाने की धमकी देती है इसी उद्देश्य एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा शीर्षक दीपा कुमारी आदि बनाम निर्भय सिंह न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया था जिसमें जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.02.2025 को खारिज हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खसरा नम्वर 2202 रकवा 0.21 हैक्टे0 ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना की पैमाईश भी करा दी है, दिनांक 15.05.2025 को प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी को जोतने बोने गये तो दीपा कुमारी आदि आ गये, हमारी डौल मेड को तोडने लगी प्रार्थीगण ने बडी मुश्किल से रोका।

अन्त में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्वर 2202 रकवा 0.21 हैक्टे0 ग्राम सिंघाडा तहसील बयाना की पत्थर गढी करवाये जाने निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बयाना से उक्त प्रकरण बाबत रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने रिपोर्ट क्रमांक/एलआर/25/2746 दिनांक 03.07.2025 से न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

प्रकरण में एड0 प्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये विवादित आराजीयात की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76, नकल फोटोप्रति निर्णय दिनांक 12.02.

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.

2025 एवं नकल फोटोप्रति पैमाइश एवं तहसीलदार बयाना की उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम सिंघाडा के खसरा नम्बर 2201, 2202 का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 02.07.2024 को किया जा चुका है। वर्तमान में प्रार्थी खसरा नम्बर 2202 की पत्थरगढी करवाना चाहता है। वर्तमान में मौके पर उक्त आराजी खाली है तथा कोई स्थगन नहीं है। राजस्व टीम द्वारा ग्राम सिघांडा के सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट अनुसार मौके पर राजस्व नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 2197 गै.मु. चाह व 2178 गै.मु. चाह का आपस में जरीब चलाकर मिलान किया गया। मिलान उपरान्त खसरा नम्बर 2201 व 2202 का सीमाज्ञान राजस्व नक्शा शीट अनुसार खातेदारन, मौजूदारन की उपस्थिति में करवाया गया एवं निशानात कायम करवाये गये।

उक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128–129 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2202 रकवा 0.21 हैक्ट. वाके ग्राम सिघांडा तहसील बयाना की पत्थरगढी प्रार्थीगण के खर्चे पर करवाई जावे। तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.